(9) R.M.M. Law College
Saharsa
Amrendra Kumar Trivedi.
Part. Time Teacher
Sub- Evidence

अक्षम न्यायालय

अक्षम न्यायालय वही है जो वाद की सुनने की अधिकारिता नहीं रखता। न्यायालय की क्षमता और उसकी अधिकारिता पर्यायवाची शब्द है। जो न्यायालय किसी वाद को सुनने के लिये सक्षम है तो वाद के उठे हुए तथ्य सही या विषय के प्रश्नों पर यदि वह न्यायालय सही निर्णय नहीं देता तो इस कारण यह नहीं कहा जा सकता कि निर्णय अक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया है। या ऐसे न्यायालय द्वारा दिया गया है जिसे वाद सुनने की अधिकारिता नहीं थी। अक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है ऐसा न्यायालय जिसे अधिकारिता नहीं थी।

कोई भी पक्षकार या अन्य व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस प्रकार निर्णय साक्ष्य में पेश किया जाता है यह साबित कर सकता है कि निर्णय अक्षम न्यायालय का है और साक्ष्य ग्रहण करने के योग्य नहीं है। ऐसे निर्णय की उपेक्षा करना प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है न केवल उस न्यायालय का जिसका वह निर्णय है।

सक्षमता से अभिप्रेत है कि न्यायालय को किसी वाद को सुनने का उस पर विचार करने और निर्णय देने का या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार

न्यायिक अधिकार प्रयोग करने का अधिकार है
यह अधिकार 3 प्रकार का होता है (1) वाद की विषय
वस्तु के सम्बन्ध में (2) पक्षकारों के सम्बन्ध
में और (3) उस विशिष्ट प्रश्न के सम्बन्ध
में जो निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

अधिकारिता के न होते हुए भी यदि न्यायालय
वाद को सुनता है और निर्णय देता है तो वह
निर्णय वातिल होता है। किन्तु यदि अधिकारिता
है और न्यायालय उसके प्रयोग करने में
गलती करता है या अपनी अधिकारिता का
अनुचित प्रयोग करता है तो उसका निर्णय
वातिल (void) नहीं किन्तु शून्यकरणीय
voidable है और वह प्रभावशील रहेगा
जब तक सक्षम समुचित कार्यवाही से
फलस्वरूप वह निरस्त नहीं किया जाता।

कपट साक्ष्य अधिनियम कपट की परिभाषा
नहीं देता किन्तु भारतीय संविदा अधिनियम
धारा 17 में कपट की परिभाषा देता है।
न्यायालय के साथ कपट करके जो
निर्णय लिया गया है वह डिक्री भी न्यायालय को
आबद्ध नहीं करता। डिक्री भी वाद के ऐसे
पक्षकार जिसके विरुद्ध उक्त निर्णय साबित का
किया गया है वह साबित कर सकता है।